**लोक सभा में 28 फरवरी, 2011**
**को पुरःस्थापित रूप में**

**2011 का विधेयक संख्यांक 8**

[दि फाइनेंस बिल, 2011 का हिंदी अनुवाद]

# वित्त विधेयक, 2011

**वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए केन्द्रीय सरकार**
**की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी**
**करने के लिए**
**विधेयक**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

**अध्याय 1**

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2011 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 34 तक 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।